रोज़ा ... रूह की गिज़ा

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी, जनरल सेक्रेट्री मजलिस उलमा-ए-हिन्द
अनुवादकः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

इंसान की पैदाइश में दो हिस्से मिले हैं, एक जिस्म और दूसरी रूह। दोनों की माँगें अलग-अलग हैं और ज़रूरतें अलग-अलग। यही वजह है कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि इंसानों के लिए क़ानून बना सके। कोई इंसान या उनकी कोई जमाअत चाहे वह कितने ही बड़े जानकार क्यों न हों, जब भी इंसानों के लिए क़ानून बनाएंगे वह अधूरा और कमी वाला होगा, क्योंकि इंसान ज़िस्म की ज़रूरतों को तो समझ सकता है, मगर क्योंकि रूह की हक़ीक़त को नहीं जानता, इसलिए उसकी ज़रूरतों को भी नहीं जानता है और जब जानता नहीं तो क़ानून भी नहीं बना सकता। क़ानून वही पूरा हो सकता है, जिसमें इंसान के ज़िस्म और रूह दोनों का ख़याल रखा गया हो और ये जानकारी सिर्फ़ उसको है जो रूह का पैदा करने वाला भी और जिस्म का पैदा करने वाला भी और वह ज़ात अल्लाह तआला की है। यहाँ पर सिर्फ़ एक मिसाल दी जा रही है। हमारे कुछ नौजवान सवाल करते हैं कि इस्लाम ने कुछ खाने मना क्यों किये हैं? जबकि अमरीका और यूरोप वग़ैरा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। मेडिकल साइंस भी कह रही है कि कोई नुक़सान नहीं और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सेहतें भी बहुत अच्छी हैं, जिस्म भी लम्बे-चौड़े हैं, मगर इस्लाम कहता है कि छूना भी नहीं तो इसकी क्या वजह है? इसका जवाब सिर्फ़ यही है कि मेडिकल साइंस ने सिर्फ़ जिस्म की सेहत को देखा कि जिस्म के लिए फ़ायदे वाली है या नहीं, मगर इस्लाम में जिस्म की सेहत भी देखी जाती है और रूह की भी। इसलिए ऐसे खाने जहाँ भी इस्तेमाल होते हैं जो इस्लाम में मना हैं, वहाँ जिस्म की सेहतें तो बहुत अच्छी हैं, मगर रूह की बीमारियाँ और दिल की ख़राबियाँ वहीं सबसे ज़्यादा हैं, यानी जिस्म की सेहत को देखा, मगरये न देख सके कि रूह के लिए भी फ़ायदे वाली है या नहीं।

मेडिकल साइंस के माहिर बताते हैं कि साल में 32-40 दिन भूखा रहना चाहिए ताकि जिस्म के बड़े हिस्सों को आराम मिले और जो ज़हरीला माद्दा जिस्म में भर गया है वह जल जाए, इसलिए साल में कुछ दिन भूखा रहना जिस्म की सेहत के लिए फ़ायदे वाला है। कोई कह सकता है कि अगर इस्लाम में 30 दिन के रोज़े वाजिब हैं तो इस्लाम की कौन सी बड़ी शान है? इसका पहला जवाब ये है कि मेडिकल साइंस ने आज बताया है और इस्लाम चौदह सौ साल पहीले बता चुका है और दूसरी शान ये है कि डाक्टरों ने भूखा रहना बताया है और इस्लाम में भूखा रहना नहीं रोज़ा है। भूखा रहना सिर्फ़ जिस्म की सेहत के लिए है और रोज़ा जिस्म और रूह दोनों को सेहत देता है। यही वजह है कि रोज़ा सिर्फ़ भूका रहने का नाम नहीं और सिर्फ़ पेट का नहीं होता, बल्कि सारे जिस्म के हिस्सों से रोज़ा होना चाहिए। हाथ भी रोज़े से हों, यानी हाथों से वह काम न किया जाए जो शरीअत में मना है। पैर भी रोज़े से हों, यानी उस रास्ते पर न चला जाए जो अल्लाह तआला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। आँखें भी रोज़ेदार हों, यानी उस तरफ़ न देखें, जिसे

इस्लाम ने मना किया है, ज़बान भी रोज़े से हो, यानी ऐसी बात न कहें जो इस्लाम में मना हैं। कानों का भी रोज़ा होना चाहिए, यानी उन बातों को सुनने से बचें जो शरीअत के ख़िलाफ़ हैं। तब होंगे हम पूरी तरह से रोज़ेदार। अगर इसके ख़िलाफ़ किया है तो भूखा रहना होगा रोज़ा नहीं।

हम कहते है रमज़ानुल मुबारक यानी बरकतों वाला महीना। आईये देखें बरकत के क्या माने हैं। आमतौर से किसी चीज़ में बढ़ोत्तरी को हम बरकत कहते हैं। अगर किसी ने दस हज़ार कारोबार में लगाए और वह बढ़कर एक लाख हो गए तो हम कहते हैं कि कारोबार में बरकत हुई, अगर किसी की उम्र माशाअल्लाह सौ साल हो गई तो हम कहते हैं उम्र में बरकत हुई। अगर किसी की एक दर्जन औलादें हो गईं तो हमने कहा कि फ़लाँ के यहाँ औलाद में बड़ी बरकत है तो हम सिर्फ़ बढ़ोत्तरी को बरकत क़रार देते हैं, जब कि सिर्फ़ बढ़ोत्तरी और किसी चीज़ का गिन्ती या नाप में बढ़ जाना बरकत नहीं है, बल्कि अगर बढ़ोत्तरी भलाई और नेकी के साथ है तो बरकत है। अगर कारोबार बढ़ा मगर बेईमानी और धोके से, उम्र में बढ़ोत्तरी हुई मगर पूरी उम्र अल्लाह की नाफ़रमानी में गुज़ारी, औलादें दर्जन भर हो गईं, मगर कोई बदमाश तो कोई जुआरी तो कोई शराबी तो ये सब बढ़ोत्तरी है बरकत नहीं। अगर कारोबार में इज़ाफ़ा हुआ मगर ईमानदारी से, उम्र लम्बी हुई मगर अल्लाह का हुक्म मानने में गुज़री, बच्चे बहुत से हुए मगर मोमिन और नेक हैं तो इसे कहेंगे बरकत।

बरकत ही के बारे में ख़न्दक़ की जंग के मौक़े पर एक दिलचस्प वाक़िआ तारीख़ में लिखा है, जो ख़िदमत में पेश किया जा रहा है। ख़न्दक़ की जंग के ज़माने में मुसलमानों पर खाने पीने की बहुत तंगी थी और खुद रसूल[स०] भूख की तकलीफ़ से बचने के लिए पेट पर पत्थर बांध लेते थे। मशहूर सहाबी हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी[अ०] ने ये हाल देखा तो रसूल[स०] की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहा कि आज आप मेरे घर खाना खाईये। रसूल[स०] ने पूछा कि खाने का क्या इंतिज़ाम है। हज़रत जाबिर[रज़ि०] ने जवाब दिया एक गोसफ़न्द है, जिससे सालन तैयार होगा और तीन सेर आटा है जिससे रोटियाँ तैयार होंगी।

फिर रसूल[स०] ने पूछा ऐ जाबिर मैं अकेला आऊँ या जिसको दिल चाहे ले आऊँ। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह[रज़ि०] की हिम्मत न हुई कि कहें अकेले ही आइयेगा। कहा आपको इख़्तियार है, जिसे दिल चाहे ले आईये। शाम होते ही जाबिर[अ०] रसूल[स०] की ख़िदमत में पहुँचे कि ऐ अल्लाह के रसूल खाने के लिए तशरीफ़ ले चलिये। अल्लाह के रसूल[स०] ने अनोखा अंदाज़ इख़्तियार फ़रमाया। आप ख़न्दक़ के किनारे पहुँचे और बुलन्द आवाज़ से फ़रमाया सारे मुसलमानो, चलो जाबिर के घर में दावत है, उर्दू के मुहावरे में कहा जाए तो ये हाल देखते ही हज़रत जाबिर के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि उस वक़्त तक़रीबन एक हज़ार मुसलमान वहाँ मौजूद थे, जो अल्लाह के रसूल[स०] के पीछे जाबिर के घर की तरफ़ चल पड़े। जाबिर दौड़े-दौड़े घर पहुँचे और सारा हाल बीवी से बयान किया, मगर मोमिना औरत के माथे पर बल तक न आया। पूछा ऐ जाबिर इतना बतादो कि क्या तुम ने अल्लाह के रसूल को बता दिया था कि घर में खाने का कितना इंतिज़ाम है। जाबिर ने जवाब दिया हाँ मैंने बतला दिया था तो मोमिना बीवी ने सुकून के साथ कहा कि फिर तो घबराने की कोई बात नहीं। रसूल[स०] ने सब मुसलमानों को जाबिर के घर के बाहर रोक दिया। और खुद अल्लाह के रसूल[स०] हज़रत अली[अ०] को साथ लेकर जाबिर के घर में दाख़िल हुए। फ़रमाया ऐ जाबिर बताओ वह देग कहाँ है जिसमें सालन पक रहा है? जाबिर रसूल[स०] को देग के पास ले गए। रसूल[स०] ने एक नज़र उसमें डाली, जिसमें रोटियाँ पक रही थीं। हुज़ूर[स०] ने हज़रत अली[अ०] के साथ मिलकर एक थाल में रोटियाँ तोड़ना शुरु कीं। जब थाल भर गया तो हज़रत जाबिर[अ०] से कहा इन रोटियों पर सालन डाल दो। फिर दस-दस

शेष... पेज 8 पर

मुजरिम किसी की इज़्ज़त पर हमला करता है तो उसे समाज में बहुत ही नफ़रत की निगाहों से देखा जाता है और लोग चाहते हैं कि उसे सख़्स से सख़्त सज़ा मिले, लेकिन अगर किसी ने कोई छोटी चोरी या कोई मामूली सा जुर्म किया है तो समाज सज़ा पर ज़ोर नहीं देता। इसी तरह से इस्लामी हुकूमत और शरई हाकिम का रवैय्या भी हर जुर्म के मुक़ाबले में एक ही जैसा नहीं होता। जैसा कि पहले भी इशारा हो चुका कि जो जुर्म अल्लाह के हुक्म से जुड़े हैं और सज़ा देने और माफ़ करने का इख़्तियार इस्लामी हाकिम को है, वहाँ हाकिम मुजरिम की तौबा को काफ़ी समझता है और माफ़ कर देने को बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह से अगर किसी एक का बर्बाद हुआ है तो वहाँ भी उसको माफ़ कर देने के लिये कहा गया है, लेकिन मुआमला अगर आम लोगों के माल का और समाज के हक़ों (पब्लिक फंड और पब्लिक प्रापर्टी) का है तो वहाँ इस्लाम कोई रिआयत नहीं करता।

नहजुल बलाग़ह के खुतबों और ख़तों से साबित होता है कि हज़रत अली[अ०] ने पहले तो अपनी हुकूमत के अरकान को सख़्ती से ईमान दारी दिखाने पर ज़ोर दिया और इस ज़ोर देने के बाद भी अगर हुकूमत के किसी ओहदेदार ने बेईमानी की तो इमाम[अ०] ने उसे माफ़ नहीं किया है। मालिक अश्तर के नाम अपने मशहूर ख़त में आपने लिखा, ''अपने काम करने वालों पर गहरी नज़र रखना। अगर उनमें से कोई चोरी की तरफ़ हाथ बढ़ाए तो और तुम्हारे जासूसों की ख़बर उसके बारे में एक ही जैसी हो तो उस गवाही पर बस करना। उस चोरी करने वाले को जिस्मानी सज़ा देना और जो कुछ उसने बेईमानी से इकटठा किया है उसे वापस ले लेना। उसे ज़लील समझना, उसे बेइज़्ज़त करना और शर्म और बेइज़्ज़ती का हार उसके गले में डाल देना।'' (नहजुल बलाग़ह, मकतूब 53) बैतुलमाल में चोरी इमाम को किसी हाल में बर्दाश्त न थी, जब आप ने पिछला सारा माल और सामान चोरों से लेकर हक़दारों तक पहुँचा दिया तो फ़रमाया, ''अल्लाह की क़सम अगर मुझे ऐसा माल भी कहीं नज़र आता जो औरतों, मेहर और कनीज़ों को ख़रीदने में ख़र्च किया गया तो मैं उसे भी वापस ले लेता, क्योंकि इंसाफ़ ही से समाज को बढ़ोत्तरी मिलती है। जिसे इंसाफ़ से तंगी होती है उसे ज़ुल्म से और ज़्यादा तंगी महसूस होगी।'' (नहजुल बलाग़ह, ख़ुतबा 15)

हज़रत अली[अ०] को ख़बर हुई कि उनकी तरफ़ से तैय किये गये एक ओहदेदार ने बैतुलमाल में चोरी की है तो आप ने उसे तहरीर फ़रमाया, ''अल्लाह से डरो और लोगों का माल उन्हें वापस कर दो। अगर तुम ने ऐसा न किया और फिर अल्लाह ने मुझे तुम पर क़ाबू दे दिया तो मैं तुम्हारे बारे में अल्लाह के सामने अपने को ऊँचा रखूँगा और अपनी इस तलवार से तुम्हें चोट लगाऊँगा। जिसका वार मैंने जिस किसी पर किया वह सीधा जहन्नम में गया। ख़ुदा की क़सम अगर हसन[अ०] और हुसैन[अ०] भी यह करते जो तुम ने किया है तो मैं उन से भी कोई रिआयत न करता और न वह अपनी कोई चाहत मुझ से मनवा सकते, यहाँ तक कि हक़ को उनसे वापस ले लेता।'' (नहजुल बलाग़, ख़ुतबा 41)

(जारी)

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 18 मई 2012[ई०])

शेष... रोज़ा...रूह की ग़िज़ा

सहाबियों को बुलाते गए, जब थाल ख़ाली हो जाता तो उसे फिर रोटी के टुकड़ों और सालन से भर देते थे। रिवायत में है कि एक हज़ार मुसलमानों ने पेट भरकर खा लिया। (बिहारुल अनवार)

इस वाक़िए को बताने का मक़सद ये है कि अल्लाह के रसूल[स०] ने सिर्फ़ एक नज़र उस बरतन में डाली जिसमें सालन पक रहा था, सिर्फ एक नज़र उस तंदूर में डाली, जिसमें रोटियाँ पक रही थीं तो इतनी बरकत पैदा हो गई तो अगर अल्लाह के रसूल[स०] किसी चीज़ पर नज़र डालें तो उसमें इतनी बरकत पैदा हो जाती है तो वह मुबारक रमज़ान जो ख़ुद अल्लाह तआला के इनामों का ख़ास केन्द्र है उसमें कितनी बरकत होगी। अब इस से ज़्यादा बरकत और क्या होगी कि दूसरे दिनों में अगर क़ुरआन मजीद की एक आयत पढ़ी जाए तो सिर्फ़ एक आयत का सवाब है, मगर इस मुबारक महीने में एक आयत के पढ़ने में पूरे क़ुरआन मजीद का सवाब है, जिसमें छः हज़ार से ज़्यादा आयतें हैं, यानी छः हज़ार गुना से ज़्यादा सवाब। इसी को बरकत कहते हैं। दुआ है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह तआला हमारे और सारे मोमिनों के रोज़े और दूसरी इबादतें भी क़ुबूल फ़रमाए। आमीन

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 27 अगस्त 2010[ई०])